EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 627—631 Dated 17-4-93

विधि, स्थाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तालाडारासप OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

किधसूचना

(कम्पनी कार्यविमाग)

नई दिल्ली, 22मार्च, 1993

सा. का. नि. 196:──राष्ट्रपति, संविधान के भ्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोई में. स्टाक कार ड्राइवर केपद पर भर्ती कीपद्धति काविनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रर्थात्:──

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म (1) :---জুन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (स्टाफ कार ब्राइयर) मर्ती नियम, 1992 है।
- (2) ये राजयत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :---उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमीं से उपाबद्ध प्रनसूची के स्तम्म 2 से स्तम 4 में विनिदिष्ट है।
- 3. भर्ती की पढ़ित, भ्रायु-सीमा और भ्रत्य भर्दताएं भ्रादि :--- उक्त पद पर भर्ती की पढ़ित, भ्रायु-सीमा और ग्रन्य भर्दताएं और उससे संबंधित भ्रम्य वार्ते वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त भनुसूची के स्तम्भ 5 से रतंभ 14 में विनिदिष्ट हैं।
 - निरहंता:--वह व्यक्ति :---
 - (क) िसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्न. गीवित है विवाह किया है, या
 - (ख) ितसने प्रपने पति या प्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति मे विवाह किया है।

उनत पद पर निग्नित या पाल नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन प्रनुतेय हैं और ऐसा करने के लिए प्रन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस गियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शियिल करने की शक्ति :--- हां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना ग्रावश्यक यासभीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्गया प्रवर्गके व्यक्तियों की बाबत ग्रादेश द्वारा शियिल करा सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात, ऐसे ब्रारक्षणों, ब्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रमाय नहीं डालेगी, जिंधका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-मनय पर निकाले गए ब्रादेशों के प्रनुसार अनुभूचित आतियों, अनुभूचित अभ जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				प्रनु यूची		
पद का नाम	पदों को सं क ्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रयया प्रचंपन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षी का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पॅशन) नियम, 1972 के निर 30 के प्रधीन मनुजेय या नहीं	रम
1	2	3	4	5	6 .	7
स्टाफ कार ड्राइवर	2* (1992) *कार्यभार के प्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (घ्रराजपवित घ्रतनुसचिवीय)	950-20- 1150-द. रो 25-1500 हपये	सागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से प्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कि द्वा गए अनुदेशों के शापनार सरकारी सेवकों के 25 वर्ष शिथिल कर के 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। ऐसे पदों की बाबन जिन पर नियुनित रीजगार-कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, प्रायु जीना अवधारित करने के लिए निजीनक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रीजगार कार्यात्वों से नाम भेजने के लिए कहा जा है।

यदि विमागीय प्रोप्तति समिति है, तो उसकी सरवना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों किया जाएगा	में संव लोक सेवा श्रावोग से परानर्ग
13		14	
विभागीय प्रोन्नति समिति :		लागू नहीं होता	•
(पुष्टि संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए)			
1. सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड	मध्यक्ष		
2. ग्रवर सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्यविमाग	- - सदस्य		
३ ग्रन्थ विभागका एक ग्रधिकारी	सदस्य		

[फाइल संबंध ए-12018/1/91--प्रशा.-1] उमेश कुमार, प्रवर सिक्व

NOTIFICATION

ग्रत्य विभागका एक ग्रधिकारो

多数理以实际的人有特别的 100mm 100m

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 22nd March, 1993

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Company Law Board, namely :---

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may De called the Company Law Board (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to chese rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualification.-No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of e opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these class or category of persons. rules with respect to any
- 6. Saving.-Nothing in these dules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	·		
Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Staff Car Driver	2* (1992) *Subject to variation dependen on work load.	General Central Service, t Group 'C' (Non-Gazetted, non-Ministerial).	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.
Whether selection post or Non-Selection post	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitme	ent
5	6	7	
Not applicable	No	of the Central Government is Note: In case of recruitment is Exchange, the crue the age limit shall be the	accordance with the instructions issued from time to time, made through the Employment

required for direct recruits,	Whether age and educational ualifications prescribed for irect recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	whether by lirect recruitment or by promotion/ deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential 1. Possessing a valid driving licence for motor cars; 2. Knowledge of motor mechanism and	Not applicable	Two years	Transfer on deputation/ re-employment/transfer failing which by direct recruitment
be capable of removing minor defects in motor vehicle. 3. Experience of driving of a motor			•
car for at least three years. Desirable:			
(i) A pass in the 8th Standard (ii) Three year's service as Home Guard/ Civil Defence Volunteer.			2
Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to the		*·	
Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent			
authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be			
available to fill up the vacancy reserved for them.			
In case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Processists what is its con-		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12		13	14
Transfer on deputation/transfer : From amongst the regular Despatch Rider (Group 'C' and Group 'D') employees in the Company Law Board/Department o Company Affairs who possess valid Drivi		nation cases) ny Law Board —Cha	Not applicable.
Licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to dri	Department of Com	pany Affairs. —Mor	nber
motor cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'D'	3. One Officer from other	•	ember
employees in other Ministries of the Centra Government who fulfil the necessary quali cations as mentioned in column 8. For Ex-servicemen			
Transfer on deputation/re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having			
the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons who would be given deputation terms upto the date on which they are durelease from the Armed Forces; thereafte they may be continued on re-employmen	for r		•
(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post he immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	d Id		•
ordering and the property of t			[File No. A-12018/1/91-Admn. I]

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3-SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 771-782

Dated 1-5-99

1000

*ी*वधि, त्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कंपनी कायं विभाग)

नई दिल्ली, 20 श्रप्रैल, 1999

सा. का. नि. 128 — राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुष्टेद 309 के **परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क**रते हुए कंपनी विधि **बोर्ड** में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विधियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, श्र<mark>योत्:---</mark>

- ा मंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ख" पद) मतीं नियम, 1999 है।
- (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और देतनमान :---उदत पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके देतनमान वे होंगें जो इन नियमों से उपादद अनुमूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पढ़ित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:---जन्त पदों पर भर्ती की पढ़ित, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वेहींगी जो पुर्वीका अनुगुची के स्तम्म (5) से स्तम्म (14) में विनिधिष्ट हैं।
 - 4. निग्हीता :---वह व्यक्ति :---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; विवाह किया है ; या 🗓
 - (का) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित उहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पदों पर नियक्ति का पाद्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यद समाधान हो जाता. है कि ऐसा <mark>विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रीर विवाह के ग्रन्य पंक्षकार को</mark> लागू स्वीय विधि के श्रर्थान श्रन्ज़ेय है **ग्रीर** ऐसा करने के लिए अन्य साधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट देसकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राम है कि ऐसा करना <mark>प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो</mark> कारण हैं उस्तें ले**ब**बद करके तथा संघ लोक सेवा धायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी **वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों** की बाबत, ब्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात, ऐसे ब्रारक्षण, मायु-सीमा में छूट मीर मन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं खालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार इ.ा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए ब्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, प्रनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों भीर धन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना प्रपेक्षित है।

				प्र न्सूची		
पदका संध्य	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह- ज्येष्ठता या योग्यता के ग्राधार पर चयन ग्रथवा ग्रचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) । नियम, 1972 के नियम, 30 के मधीन मनुज्ञेय है या नहीं	•
1	2	3	4	5	6	7
)- श्रमुमाग आधिकारी	1 [#] (1999) *कार्यभार के स्रा धा र पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय संबा, समूह ''ख'' राजपत्निन, अनुसचिवीय	6500-200- 10500 ह	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होत्त

र्याध्रभतीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पश्चिम्नारी सर्वाध्य स्वति कोई से । विहित स्रायु सौर सैक्षिक सहिनाएं प्रोचन व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

लाग् नहीं होता

लाग् नहीं होता

प्रोक्षत किए गए व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।

भर्ती की पढ़ितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारम् या प्रतिनियुक्ति ह्यामेलन द्वारा तथा विभिन्न पढ़ितयों द्वारा भ रे जाने वाले पदों की प्रतिगतता

11

ः प्रोन्नित/प्रतिनियुषित/प्रोमेशन द्वारा भर्तीकी दक्षा में दे श्रीणयां अस्ति जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुषित/श्रामेलन किया जाएगा

12

प्रोचितःप्रतिनियं वित

49 412 1

प्रोन्नति/प्रतिनियुनितः

- (1) केन्द्रीय सरकार के अर्थान ऐसे अधिकारी '--
- (क) (i) जो भियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं. या
- (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
 - (iii) जिन्होंने 5000-8000 ह. या समतुख्य वेतनमान यार्ल पदों .कु पर छह वर्ष नियमित सेवाकी है; और
- ं (ख) जिलके पासं प्रशासन रिथापन से संबंधित विषयों में दो वर्ष का अभूभव है।
 - (2) बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसे विभागीय सहायक के संबंध में भी, जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हैं, विचार किया जाएगा। यदि उस पद पर निसृत्ति के लिए उतका चयन कर खिया जाता है तो कह पद प्रोन्नित द्वारा भेरो गया समझा जएगा।
 - (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय सिधकारी, जो प्रोद्योपिक संधार पंतित में हैं प्रतिनिथुमित पर नियुक्ति के लिए दिखार किए जान के पाल नहीं होंगें। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोप्ति द्वारा नियुक्ति के लिए दिखार किए आने के पाल नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके बन्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन। विभाग में इस नियुक्ति से ठीक गहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पट पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से ब्रव्हिक नहीं होंगी। प्रति-नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम धायु सीमा ब्राव्दन प्राप्त करने की धंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है तो उसकी संरचना

1 1 1 Sept.

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा ब्रायोग से परामर्श किया जाएगा

13

....

1.4

लाए नहीं दोता

प्रोक्तिति। प्रतिनियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामण करना आवस्यक है

1	2	3	4	5	6	7	
 निजी मचिव 	9*	माश्चारण केन्द्रीय	6500-200-	यचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	rominister an Cartida
	(1999)	सेवा, समूह "ख",	10500€.				
	[≗] कार्यभार के	राजपक्षित					
	आधार पर	प्रन् यचित्री य					
	परिवर्तन किया						
•	जा सकता है।						
							where a publishing spaces. Since



लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता

10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा : जिसके न हो स हने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 90 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नित

5500-9000 ६० के बेतनसाव सेर्ग्सा वैयोगिक महायक जिसने इस श्रेणी में तीन वर्ष जीस्पन्नित सेवा की है। र 👫 🗡 🗀

टिप्पण :--जहां ऐसे कानेप्ट व्यक्तियों के संबंध में जिस्होंने अपनी प्रहेक पावता सेवा पूरी कर की है प्रोक्षीय के लिए विचार किया जा रहा हो वहां जाने जार अक्तियों के संबंध में या विचार किया वाएमा यस्तु गर का बटांक उनके हारा को गई ऐसी पहुँक,पालना सेवा उर्लाहल वर्षक हालना सेवा ने क्षाचे ने प्राथिक ने ता शंक्ष्य में अपने विधानी अस हा, कम न हो। सीर उन्होंने १९५ने ऐसे कॉनफा व्यक्तियों गृहित श्रमली उच्चतर अंशी में प्रोप्नति के लिए अपना परिवासा की अवधि समालतापुर्वत १२) ०४ की है फिरोरे ऐसे शईक फहरा सेवा पहले ही परी कर की है।

प्रतिगिय्वितः

केन्द्रीय सरकार क ग्रधान ऐसे प्रधिकार।

- (क) (i) जो नियमित क्राधार पर सद्धा पर चन्या किए हम हैं; या
- (ii) जिन्होंने 5500-9000 ८. या भमतुल्य वेतनमान बाले पदो पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; श्रीर
- (ख) जितके पान अप्रामिषि भागे (अग्रेजी)हिन्दी) में 'पांच वर्ष काश्रनुभव है।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीत आंधकारी जा प्राप्तांत का गांधी पंक्रित में है प्रतिनियक्ति पा नियक्ति के लिए विकास फिल जुने के पत्त्व नहीं होंगे । इसी प्रकार, शतिनिश्वत व्यक्षित प्रोद्यति हारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने क पान नहीं होंगें : प्रतिनियुक्ति की अबधि, जिनके अन्तर्गत नेन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से टीक पहने धारित किसी अस्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिमुक्ति की अवधि ह, साधारणाया तीन वर्ष सं अधिक नहीं होगी। प्रतिनिग्धिक पर निय्क्ति केलिए अधिकातम आयु सीमा आरोदन प्राप्त करने की ग्रंतिम तारीख को उत्पर्व से ग्रंधिक नहीं होगी।)

संघ लॉक सेवा स्रायोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समृह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड

--ग्रध्यक्ष

2. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड

3. कंपनी कार्य विभाग में उप सचिव/निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी

---सदस्य

साधारण केन्द्रीय ् वैयक्तिक 5500 175-रेवा, समृह 'ख' सहीयक (1999)96668 घराजपदित. ⁴कार्यभार ने ब्राधार पर धनमचिवीय परिवर्शन किया

जा सकता है।

अच्यन

लागु नहीं होता

8 9 10
लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दे दे दे ।
11 12

प्रोप्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसा ब्राणुलिपिक श्रेणी——][जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा कीहै।

टिप्पण :— जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/पातता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी श्रहंक/पातता सेवा, अपेक्षित श्रहंक/पातता सेवा के आधे से श्रधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने श्रपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों महित अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए श्रपनी परि-विका की श्रवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुनित:---

केन्द्रीय सरकार के श्रधीन ऐसे श्रधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए ξ ; या
- (ii) जिन्होंने 5000-8000 ६ प्रा समतुल्य बेतनमान बाले पदों पर तीन वर्ष नियाँकत सेंबा की है; या
- (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; ग्रांप
- (ख) जिनके पास ब्राशुलिपि कार्य (ब्रंग्रेजी,हिन्दी) में तीन वर्ष का श्रमुभव है।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीश्री पंतित में है प्रतितियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगें। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन, विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले प्रविचित्र की अवधि है, साधारणतथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा अवदिन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

いて、 子を教での見る事を実施しないのであった。

3

1

<mark>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति</mark>

1. सदस्य, फंपनी विधि बोई

--ग्रध्यक्ष

2. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड

--सदस्य

कंपनी कार्य विभाग में उप सचिव/निदेशक की पंक्ति का एक ब्रिधिकारी

---सदस्य

रांघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

लागृ नहीं होता लागू नहीं होता लाग् नहीं होता 4. ज्येष्ठ 1* साधारण केन्द्रीय 5500-175-तकनीकी (1999)सेवा, समूह ''ख'', 9000**६**. ग्रराजपत्निन, *कार्यभार के सहायक **ग्रन्मचिवी**य ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। लाग् नहीं होता लग् नहीं होता साग् नहीं होता 11 प्रतिनिय्वित प्रतिनियुक्ति:--केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित ग्राधार पर सदृश पदधारण किए हुए (ii) जिन्होंने 5000---8000 रु. या समतुल्य वेतनमान बाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाल पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्ह्ताएं और अनुभव हैं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) सांख्यिकीय/प्रशासनिक मागलों में दो वर्ष की ग्रन्भव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुनित से ठीक पहल धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनि**ग्**नित पर नियुक्ति के लिए प्रधिकतम प्रायु सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की अवंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 13 14 लागू नहीं होता संघ लोक सेवा अधिंग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। 3 5 2 5. ज्येष्ठ विधि 4* सा**धारण केन्द्र**ीय 5500-175-लागू नहीं होता लागुनही होता लागू नहीं होना (1999) सेवा, समूह "ख", 9000E. सहायक ग्रराजपन्नित, *कार्यभार के अनुमचिवीय आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। लग् नहीं द्वों व लागू नहीं होता वागू नहीं है:क

प्रतिनियुक्ति

त्रतिनियुक्तिः :---

केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य बेतनमान बाले पढ़ों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुत्य वेतनशान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित रोवा की है; ग्रीट
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक ग्रहेताएं भ्रौर अनुभव है:---ं
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विष्यविद्यालय में विश्वि में डिग्रं य । समनुक्ष्य।
- (ii) विधिक/कंपनी विधि गामलों में संबंधित दो वर्ष का अनुभव।
- (प्रतिनियुक्ति की अबिध, जिसके अस्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आरित किसी अन्य काडर बाहुय पद पर प्रतिनिधुक्ति की अबिध है, साधारणतथा सीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । धूप्रति-नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा बेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी!)

13

गाग् नहीं होता

14

संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना श्रावश्यक नहीं है।

[सं. ए-13018/)[१३-प्रणाः]] सत्यासः ध्रवर सच्चित्

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th April, 1999

- G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group "B" posts in the Company Law Board, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Group "B" Posts) Recruitment Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes. Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Concernment from time to time in this regard.

Name of Post	No. of posts	Classification	on	Scale of	pay	Whether tion by a or select cum-sen	merit ion-	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
	2	3		4			5	6
Section Officer *Subject to variation of		General Cen Service Grou Gazetted Ministerial		Rs. 6500-20	0-10500	Not ap	plicable	Not applicable
*Subject to variation c	tependent on							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Age limit for direct recruits		ol and other ions required recruits	educa cation for di will ap	ner age and tional qualifi- is prescribed rect recruits eply in the f promotees	Period of bation,		whether ruitmen tion/dep absorp tage of	of recruitment by direct rec- it or by promo- putation/ tion and percen- tine posts to be y various
7		8 .		9		10		11 .
Not applicable	Not appl	cable	Not a	pplicable	Two year		Promot	ion/deputation
In case of recruitmen absorption—grades fi deputation/absorption	rom which pro		Con	Departmental amittee exists, position		Pub is to	lic Service	s in which Union c Commission alted in making
	12			13				1.4
Promotion/deputatio (1) Officers under the (a)(i) holding analog or (ii) with 3 years regi	e Central Gov tous posts on t	regular basis:	Not a	pplicable		Con Serv	sultation vice Comp	with Union Publinission necessary
scale of Rs. 5500-9 (iii) with 6 years' reg	2000 or equiva gular service in	lent: or posts in the						
scale of Rs. 5000-8 (b) possessing two y relating to admini	ears' experienc	e in matters						

(2) The Departmental Assistant with 6 years regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post same will be treated as having been filled by promotion.

12

(The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation ists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

Note; Where juniors who have completed

their qualifying/eligibility service are being

also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility

considered for promotion, their seniors would

service by more than half of such qualifying/

eligibility service or two means, whichever is less, and have successfully completed their

					,		
.]	2		3		4	5	6
2. Private Secretary	9*(1999)	General Cen Group 'B' Gezetted, M		Rs. 650	0-200-10500	Non Selection	Not applicable
*Subject to variation	dependent or					PA degree and the company of the company of	
					·		
7		8		9	10		11
Not applicable	Not a	pplicable	Not	applicabl	e Nil	10% by P which by a 90% by d	romotion failing deputation. eputation.
	12			13	man and the state of the state	14	
Promotion; Personal Assistant in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade.		Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion: (i) Member, Company Law Board—			not necessa	ice Commission	

—Chairman

Board—Member

(2) Secretary, Company Law

(3) An officer of the rank of Deputy

Secretary/Director, Department

of Company Affairs-Member

12

probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis;
- (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; and
- (b) possessing five years' experience in stenographic work (English/Hindi).

(The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

1	2	3	4	5	6
3. Personal Assistant *Subject to variation of	1*(1999)	General Central Service Group ' Non-Gazetted Ministerial workload.	Rs. 5500-175-9000 B'	Non-selection	Not applicable
7	8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9	10	11
Not applicable	Not applica	ble Not	applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation
	•				
12			13		14
Promotion: Stenographer Grade Rs. 5000—8000 with t in the grade.		scale of mo gular service der (1)	oup 'B' Departmental tion Committee for coing promotion: Member, Company La oard—Chairman	nsi- Public Ser not necess	vice Commission

1219 LJ&CA/99-2

Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis;
- (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; and
- (iii) with six years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent; and
- (b) possessing three years' experience in stenographic work (English/Hindi).
- (The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

- (2) Secretary, Company Law Board—Member
- (3) An officer of the rank of Deputy Secretary/Director, Department of Company Affairs —Member.

1	2	3	4	5	6
4. Senior Technical Assistant	1*(1999)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5500—175—9000	Not applicable	Not applicable
*Subject to variation	dependent on	workload .	·	· .	,
er ·					·*s,:ţi

7 8 9 10 11 (3)

Not applicable Not applicable Not applicable Deputation

(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; or
(iii) with 6 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent; and
(b) possessing the following educational quali-

fications and experience;

- (i) Degree in law from a recognised university or equivalent;
- (ii) two years' experience in dealing with legal/ company law matters.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[No. A-12018/1/94-Adma.I] SAT PAL, Under Secty.

		। प्रोप्नति द्वारा या प्र भरी जाने वाली रिर्व	तिनियुस्ति /स्यानान्तरण क्तयों को प्रतिषतता			तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे त/स्थानान्तरण किया जाएगा।
,	11	:			1 2	
	कने पर सीमों) मर्ती द्वा		न्तरण द्वारा उसके न	₹-		प्रभाग, इसके क्षेत्र कार्यालय और वे यों से चौकीदार और चपरासिय
पदि विभागीय	श्रोन्नति समिति है, त	गे उसकी संरवना		गत्	िकरने में किन परिस्थिति किया जाएगा	यों में संघ लोक सेवा मायोग से पर
	13				14	
					लागू नहीं होता	
	–यथोपरि—– –——————————————————————————————————				लागू नहीं होता	
1	2	3	4	5	6	. 7
3. जमादार	*4 (1992) *कार्यभार के प्राक्षार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रोय सेवा समूह "घ" ग्रराजपतित ग्रगुसचिवीय	775-12-055 द . रो. 14- 1025इ.	प्रच्यन	लागू नहीं होता	सागू नहीं होता
	8		9			10
सागू	महीं होता		सागू नहीं ह	ोता		सागू नहीं होता
	11				12	
রেরাম সিন	के नहीं सकतेपर प्र	तिनियुक्ति पर स्थान	ान्तरण द्वारा	चौकी वर्षे प्रतिनि कस्पनी प्रत्य प्रतिनि चपरा निया	ा कम्पनी विधि बोर्ड गें दार की प्रोन्नति अन्होंने निगमिस सेवा की है। नेगूक्ति पर स्थानान्तरण कार्य विभाग में इसके दो कार्यालयों में जमादार/द्रुष् त्र्युन्ति पर स्थानान्तरण सियों/चौकिदारों ने उस् मत सेवा को हो। युक्ति की श्रवधि साक्षा	में कार्य कर रहे ऐसे चपरास्ता उस श्रेणी में कम से कम ती व्य कार्यालय और केन्द्रीय सरकार कतरी और चपरासी/चौकीदार व परम्तु यह तव जब कि सम्बद्ध संश्री में कम से कम 3 वर्ष रणतमा तीन वर्ष से अधिक नहीं
·	. 13				14	
"-" 60-	प्रोन्नति समिति				नहीं होता .	

[फा. सं. 12018 / 1 / 91-प्रका. 1] उमेश कृमार, सबर मसि*व*

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 1992

- G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Company Law Board, namely:—
 - Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Company Law Board: (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scales of pay:— The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification :-- No Person,--
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

- Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the, other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Liability of persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years:
 - Provided that the Commandant General Home Guards may, having regard to the performance of and standards of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing.
 - Provided further that a physically handicapped person appointed as a peon under these rules shall be exempted from undergoing the training as a Home Guard.
- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post
1	2 .	3	4	. 5
1. Poon	*9(1992) *(Subject to variation	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB- 14-940.	Not applicable.
	dependent on work load).	Non-Kinnstellal.		
2. Chowkidar	*1 (1992)	General Central Service Group 'D',	Rs. 750-12-870-EB-14- 940.	Not applicable.
;	*(Subject to variation dependent on work load).	Non-Gazetted, Non-Ministerial.		
of services admissil Rule 30 of Centra Service (Pension) I	ıl Civil		required for	direct recruits
6		7 · ·		8
Not applicable	accordance wi	: Government servants upto 35 th the instructions or orders is	, - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s from a recognised school.
	Central Gover	rnment)	3011040)	
1	limit shall be	rument). le crucial date for determini the last date upto which the Exchanges are asked to subn	Training in bong the age Home Gua	asic and refresher courses in and Civil Defence.
	NOTE: (The limit shall be	e crucial date for determini the last date upto which th	Training in bong the age Home Gua	asic and refresher courses in
Not upplicable.	NOTE: (The limit shall be Employment Iname. 18 to 25 year	the crucial date for determining the last date upto which the Exchanges are asked to submars.	Training in b ng the age Home Gua not the ESSENTIAL	asic and refresher courses in and Civil Defence.
Not upplicable.	NOTE: (The limit shall be Employment Iname. 18 to 25 year (Relaxable for	the crucial date for determining the last date upto which the Exchanges are asked to substitute the control of	Training in b ng the age the hit the ESSENTIAL 35 years 8th class P issued DESIRABLE	asic and refresher courses in and Civil Defence. :

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probatio		ment or by percentage of	r promotion/c the vacancies	nether by direct recruit- leputation/transfer and to be filled by various
9	10			11	
	years of direct re	cruitment.	75% by dire	ct recruitmen by direct rec	t and 25% by transfer cruitment.
Not applicable 2	years		By direct rec	ruitment.	
In case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	on/ exists, w	partmental P hat is its com	Promotion Conposition.	mmittee	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12		,	13		14
TRANSFER: By transfer of Chowkidar and from the Department of Company Affairs, its field offices and other Central Government Of	2. Secti	r Secretary on Officer on Officer	1	Chairman Member Member	Not applicable
Not applicable	1. Undo	r Secretary on Officer			Not applicable
	3. Secti	on Officer]	Member	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2		3			4
*(Subject to v dependant o	ariation n the work load).	Non-Gaze Non-Minis		o Principal de Maria	e
5 6			7		8
Non-selection Not applicat	ble	Net applie	cable	Nota	pplicable
					-
9.	10			11	
Not applicable N	tot applicable		By promotion deputation,	n failing which	by transfer on
12		13			14
PROMOTION: Promotion of Peon/Chowkids working in the Company Law Board who havendered at least three years regular service i grade.	ve consisting that		ntal Promotio	n Committee Chairman Member	Not applicable.
Transfer on deputation: Transfer on deputa Jamadars/Daftries and Peons/Chowkidars in the Department of Company Affairs, its field officed and other Central Government offices, provide concerned Peons/Chowkidars have rendered at 2 years regular service in that grade. The per of deputation shall ordinarily not exceed three	tion of he ces led the least	***		e fertify it w	্যান্ত বিভাগ কৰা

(20

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

सा. का. वि. 5.21,---राष्ट्रपति, संविधान के मनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवरत शनितर्गी का प्रयोग करते हुए गन्येवण और रिनस्ट्री-करण मतानिदेशालय कार्यालय (कम्पनी कार्गविभाग) समूह "व" और "घ" गव भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिश्वित नियम बनाते हैं, प्रयात् :--

- 1. (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्वेषण और रिजस्ट्रीकरण महानिदेशालय कार्याजय (कम्पनी कार्य विमान) समूह "ग" और "घ" पर भर्ती संगोधन नियम, 1992 है।
 - (2) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भाखनीय -- अर्थे स्तर् में उत्सींग का प्रमाणगत ।

- 2 भन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशालय कार्यालय (कम्पनी कार्य विभाग) समृह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 1987 की भ्रनुसूची में :--
 - (क) निम्न श्रेणी लिपिक से संबंधित कम संख्या 6 के सामने स्तंत्र 2 में "7" अंक के स्थान पर "6" अंक और "1987" अंकों के स्थान पर "1992" अंक रखे जाएगें।
 - (न) कम संख्या 8 के पश्यात् निम्नलिखित कम संख्या और प्रविध्टि प्रन्तः स्पापित की जाएगी प्रवीत्:--

धनसर्भ

· · ·	a		मनुस्थी			
1	2	3	4	5	6	. 7
९. स्टाफ	1*(एक) (199 *कार्यभार के श्राधार		950-20-1150- द.रो25-	लागू नहीं होता	नहीं	23 स 30 वर्ष के बीच :
कार चालक ,	पर परिवर्तना किय भा सकता है।		15004.			टिप्पण :— (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रनुदेश या श्रादेशों के अनुसार सरकार सेवकों के लिए 10 पर्प तर शिथिल की जा सकती है।
. '						(2) मायु सीमा प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत है प्रमर्थाययों से (उनसे भिन्न जं अंडमान और निकोबार द्वीप तय
						सक्षद्वीप में हैं) ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गा अंतिम तारीख होगी। ऐसे पर्द
						की वाबत जिंग पर नियुनित रोज गार कार्यालयों के गाध्यम से कं जाती हैं, भायु-तीमा भवधारि करने के लिए निर्णायक तारीर
					•	ंबह अंतिय तारीख होर्ग ∘जिस तक रोजगार कार्यालय
				Ž		रा नाम भेजने के लिए कहा गया है।
, ,						:
	8	***************************************	9			10
ावस्यकः 1. मोटर_कार	चलाने का धनुभव ज	ो सोन वर्ष से कमन हो।	लागू नहीं होता			वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने दालें स्तर्यों के लिए)
 उत्ते मोटर छोटी खर 	मांतिकी का शान हो। प्रविमों को दूर करने	और वह मोदरमानों की		· ·		

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II. SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No.: 126-127

Dated: 19-1-2002

विधि, न्याय श्रीर कम्पनी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कंपनी कार्य विभाग)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ग"पद) भर्ती नियम, 1994 का/ग्रौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ग" पद) (संशोधन) भर्ती नियम 2001 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी विधि बोर्ड (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम 1994 की ग्रनुसूची में, स्तंभ-II में ग्रवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात् :---
 - (i) 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन ग्रायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
 - (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां कंपनी विधि वोर्ड में कार्यरत समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के ग्राधार पर प्रोन्नित द्वारा भरी जाएगी, जिनके पास मैट्रिक या समतुख्य ग्रह्ताएं हैं ग्रौर जिन्होंने ग्राठ वर्ष से ग्रन्यून ग्रह्क सेवा पूरी की हो। जो या विभागीय परीक्षा को दो वर्ष के ग्रन्दर ग्रह्ति करनी होगी जिसके न हो सकने पर उन्हें समूह "घ" पद पर प्रत्यावितत कर दिया जाएगा। उनकी, तथापि जब तक वे छह मास की ग्रवधि में टंकण परीक्षा ग्रीहत नहीं कर लेते हैं तव तक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।

[सं. ए-12018/1/2001-प्रशा.-]] सतपाल, ग्रवर सचिव

टिप्पण :---मूल नियम भारत के राजपत्न, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), सा.का.नि. 295 तारीख 8-3-1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । (Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2002

- G. S. R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1994, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' posts) (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Company Law Board (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1994, in column 11 relating to the post of Lower Division Clerk for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—
 - (i) 90% by direct recruitment through the Staff Selection Commission.
 - (ii) 10% of vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees working in the Company Law Board who possess matriculation or equivalent qualification and have completed not less than eight years' qualifying service. Those appointed as clerk either on the basis of departmental examination or by seniority will have to qualify in typing test conducted by the Staff Selection Commmission within two years failing which they shall be liable to be reverted to Group 'D' post. They shall, however, not draw increment until they qualify in the typewriting test within a period of six months."

[No. A-12018/1/2001-Ad. I] SAT PAL. Under Seev

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Subsection (i) vide G.S.R. 295 dated 08-03-94.

(22

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SECTION 3. SUB SEC. (i)

Appearing on Page No.: 1421-1422

Dated: 20-7-2002

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंद्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिमू चना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2002

सा.का.ति. 262.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पती विधि बोर्ड (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (समूह ग पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 है।
 - (2) ये राज्यत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कम्पनी विधि बोर्ड (समूह 'ग' पद) (संशोधन) नियम, 2001, के नियम 1 के उप-नियम (1) में "2001" अंकों के स्थान पर "2002" ग्रंक रखे जाएंगे।

[सं.ए-12018/1/2001-प्रका.-I]
बी.एन. प्रसाद, अवर सचित्र
टिप्पण:--मूल नियम, भारत के राजपत्न, भाग II,
खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 295
तारीख 8 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित किए
गए थे ग्राँर उनमें सा.का.नि. 18 तारीख
3 जनवरी, 2002 द्वारा संशोधन किया गया
है।

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2002

G.S.R. 262.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1994, namely:—

- 1. (I) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 2002.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In sub-rule (1) of rule 1 of the Company Law Board (Group 'C' Posts) (Amendment) Rules, 2001, for the figures "2001", the figures, "2002" shall be substituted.

[No. A-12018/1/2001-Ad.-I] B.N. PRASAD, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR 295 dated 8th March, 1994, and amended vide GSR 18 dated 3rd January, 2002 and GSR 187 dated 10th May, 2002.

💪 EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (b)

Appearing on Page Nos. 955-965 Dated 125-6-1994

विधि, त्याय और कम्पनी कार्प मंत्रालय MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कस्पनी कार्य विभाग)

वर्ड दिल्ली, 8 मार्च, 1994

अधिस्चना

सा.का.नि 295 .---राष्ट्रगीत संविधार्ग से धन्तर्यंत 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्राप्तेय करते हुए कालानी विशेष हो में समृद्व पेया के पूर्वी पर क्षती की तदानि का विनियमण राजने के लिए तिन्नतिश्चित निजन बनाते हैं प्राप्ति ----

- ा संक्षिप्त साम और प्रारम्म :--()) इन निपमी या रक्षिण नाम कंपनी विक्रि दीहें (समुद्र "ग" एवं। भनी निपम (१९०३ है।
- (१) ये राज्यत में प्रकाशन की तारील की प्रवत होंगें।
- लाग् होता :---ने निवम इन नियमों से उपात्रप्र अनुपूत्री के स्तम्म । में तिनिदिष्ट पठों को लाग् होंगे।
- अ पर संख्याः अमेकिरण और बेतनमान :—उक्त तथीं की संख्याः उनक वर्गीकरण और उनके बेननमान बेलेले जो इत का मां में अमेर अस्मुन्ति के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिधिक्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्मति, श्राय्-मीमः और अध्य अर्हताएं:---उत्त पत्नी को पत्नित प्रातृताता, प्रदेतार यो उत्तमे संबंधित प्रत्य अर्थ के होती को पूर्वीकत शहरूको के स्वस्थ 5 में स्तरभ 14 में वितिधिक्ट है।
 - निर्माता --वह व्यक्ति---
 - ंव) जिसमे ऐसे व्यक्ति में जिसका पति या जिमको पन्ती जीवित है, विवाह हिया है, या
- (स्र) जिसने अपने पति <mark>या अपनी पत्नी के</mark> जीवित होतेहुए किसी व्यक्ति से स्थाउ हिसा है. उक्त पद पर सिपबित स्थापक नहीं होगा:

णरस्य यदि केटिश मन्त्राप्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐस जिनाह ऐवे व्यक्ति और सिनाह के प्रकार रहिता को लाए उन्हें विश्वि के श्रीत प्रपक्षिय है और ऐसा करने व लिए सन्ह प्राधाद है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के सबर्गत से इन्ह स्केगी।

- ा. पि स्थितरं की मक्ति:--जड़ां केन्द्रीय सरकार की यह राष्ट्र है कि ऐसा घरना पापण्यक या सर्मालीत है वहां पर उनी लिएका नारकः है उन्हें लेखबर नरवी इन सियमों के किसी उपबंध की किसी वर्गया कवर्ग के व्यक्तियों की बादन आदेश हारा निविध कर संस्था।
- 7. व्यायति :---इन नियमो की कोई ब्रान. ऐसे ब्रारक्षण, ब्रायु-सोमा में छुट और अन्य रियायती पर प्रमाय नहीं डालियी, जिनका केछीय सरकार इत्या इस संबंध में समय-सम्मय पर निकाल गए अदिशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पनुसूचित जन वातियों, भूतपूर्व मैनिहां और प्रसा दिनों। उन वि यो व्यविनयों के लिए अपनेध करना थपेदित है।

			प्रन् स्ची			
९दकानाम	पदों की संख्या	वर्गी करण	वेन ते पान	चान उद्यक्षणकाः अञ्चयन्येत	भवा ने जीते गए वर्षाका भारता केदीय मिबिल गेवा (गेंगत) तिवस, 1972 के तियम 30 के अधीन धन- तेर हैं या नहीं	वाले व्यक्तियों के वित
1	7.1 47	3		7	6	~
). भ्रवर श्रेमी निर्मिक	10* (1994) *साम्भार ना श्राधार पर परिवर्त क्रिया आ सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'प' प्रजाशकिय प्रयन्गन्वियीय		ते. सञ्जान	नर्हें। नर्हें।	18 और 35 वर्षक वाल (केन्द्रोज सर- जार न्द्रारः नद्रा किन् गुणु अनुदेशः वा यदियों के अनु- नारस्वादी सेक्चाः वा विद्रा विश्वित करक ४० वर्षका विद्रा विद्रासक्की 21।

		याम्		्रोत्स्य । अस्तिस्यं भौ प्रथम			> <i>2</i>
पर चन्य यहिनाय							•
		में ल	ागृहोगी हा नई।				
	8	THE PERSON	5)		Fillmorrows T > 14 something of a	10	
) किसी मान्यताः	 गप्त बोर्ड या विश्वधिः	द्यालय	हां. स्तम्भ ।। में उप	दर्शित सीमा तर		ा अर्थ	
	समतुल्य योग्यता ।				•		
	शब्द प्रांतिमिनट या अ	संग्रेजी में					
	मनटकी टंकण की गाँ						
पण : स्रायु मींमा	प्रवद्यारित करने के	लिए निर्णायक तार	तिख कर्मचारी चयन अ	ायोग द्वारा नियत की आ	एनी ।		
	-		त/स्थानान्तरण द्वारा तथ	ग विभिन्न	प्रोन्नति/प्रतिनियुनित्		
इतियों द्वारा भरी ज	ाने वाली रिक्तियों की ·	प्रतिशतता ।				श्रेणियां जिनसे प्रे	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Annual American Company	नियानत/स्थानान	तरण किया जाएगा	Contracting of the co
		11				12	
	हर्मचारी चयन ग्रायोग व				न्त्रशामियका	र्वाण्स	
			कर्मचारी चयन ग्रायोगः				
			गी जिनके पास मैदिकुलेय सेबा की हो । इस परी				
				लिए स्रायुमीमा 50 वर्ष)	ı		
	ि विशिष्ट वर्ष में भरी न			.,			
, ,			ति पहाचाचान्याः की संख्यासे प्रधिक क	र्मचारी उक्त			
	` '						
	पराक्षाम अहता प्राप्त	कर लात हाता एस	कमचारिया के। एसा ग्रा	धकः सच्या पर			
			कर्मचारियों की ऐसी र्या ो भरने के लिए विचार				
	पण्चात्वर्ती वर्षी में होने	ने वाली रिक्तियों क	कमचाारया का एसा आ ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प	किया जाएगा।			
	पक्चात्वर्ती वर्षी में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परी	ने वाली रिक्तियों क क्षामें ग्रहताप्राप्तः	ो भरने के लिए विचार	किया जाएगा । गर पण्चात्वर्ली परीक्षा			
	पक्ष्वात्वर्ती वर्षों में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्ष में अर्हता प्राप्त करने व	ने वाली रिक्तियों क क्षा में ग्रर्हता प्राप्त तले कर्मचारियों से पृ	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प	किया जाएगा । गर पण्चात्वर्ली परीक्षा ।			
 उप्रतिशत ि जाएगी जिनवे 	पण्चात्वर्ती वर्षी में होते जिससे कि पूर्ववर्ती परीः में अर्हता प्राप्त करने व रिक्तर्या ज्येष्ठता-सह-योग स्पास मैट्रिकुलेशन या स	ने वाली रिक्तियों क क्षा में ग्रह्तता प्राप्त तले कर्मचारियों से पृ स्थता के श्राद्यार पर स्मृतुल्य ग्रह्तताएं हैं अ	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् हर्व विचार किया जा सप्ते ऐसे समूह "व" कर्मचारि ौर जिन्होंने कम से क	किया जाएगा । ार पण्चात्वर्ली परीक्षा ः। वृन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की			
 उप्रतिशत ि जाएगी जिनके स्रहंता सेवा पू 	पश्चात्वर्ती वर्षी में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परील में अईता प्राप्त करने व रिक्तियाँ ज्येष्ठता-सह-योग पास मैड्रिकुलेशन या स री कर सी है । लिपिक	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त ति कर्मचारियों से प्र स्पता के श्राधार पर समतुल्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारि गैर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि	किया जाएगा । र पण्चात्वर्ली परीक्षा र । व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या			
 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनवे सर्दता सेवा पू ज्येष्टता के प्र 	पश्चात्वर्ती वर्षी में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अहंता प्राप्त करने व रिक्तर्या ज्येष्ठता-सह-योग ज्यास मैट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक ज्ञार पर नियुक्त हों द	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त तले कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर समतुल्य अर्हताएं हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर क	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचारि पैर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि विदारों चयन श्रायोगदार	निया जाएगा। र पण्चात्वर्ती परीक्षा । पुन्द में से भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टेक्ण			
 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके सहता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में क्रा 	पश्चात्वर्ती वर्षी में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रिक्तर्या ज्येष्ठता-सह-योग त्पास मैट्रिकुलेशन या स री कर सी है। लिपिक ब्रार पर नियुक्त हों द हुंता प्राप्त करनी होगी,	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त व तले कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर स्मतुल्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व से अर्थ के भीतर क ऐसा न करने पर वे	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचाि ौर जिन्होंने कम से क यक्लियों को चाहे ये वि विचारी चयन प्रायोगदा समृह "घ" पद पट प्रति	किया जाएगा । 11 पण्चात्वर्ती परीक्षा 1 । : व्हिन्द में से भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण विति किए जाने के			
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रह्ता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दाभी होंगे।	पण्चात्वतीं वर्षों में होते जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता ज्येष्ठता-सह-योग त्पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है । लिपिक ब्राह्मर पर नियुक्त हों द र्हता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त व तले कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर स्मतुल्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व से अर्थ के भीतर क ऐसा न करने पर वे	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचारि पैर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि विदारों चयन श्रायोगदार	किया जाएगा । 11 पण्चात्वर्ती परीक्षा 1 । : व्हिन्द में से भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण विति किए जाने के			
(3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दाभी होंगे। में प्रहंता प्राप्त	पण्चात्वतीं वर्षों में होने जिससे कि पूर्ववर्ती परी में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता ज्येष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक ।धार पर नियुक्त हों द ह्वा प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते।	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त व ति कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर स्मृत्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व सो वर्ष के भीतर क ऐसा न करने पर वे वृद्धि नहीं प्राप्त करें	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचाि ौर जिन्होंने कम से क यक्लियों को चाहे ये वि विचारी चयन प्रायोगदा समृह "घ" पद पट प्रति	किया जाएगा । 1र पण्चात्वर्ली परीक्षा 1 । व्वन्द में से भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण विति किए जाने के भीतर टंकण परीक्षा	प्रक्तिअधियों हैं ग्रंड	is us who	T 6318
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रह्ता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में ग्रह्ता प्राप्त	पण्चात्वतीं वर्षों में होते जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता ज्येष्ठता-सह-योग त्पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है । लिपिक ब्राह्मर पर नियुक्त हों द र्हता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त व ति कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर स्मृत्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व सो वर्ष के भीतर क ऐसा न करने पर वे वृद्धि नहीं प्राप्त करें	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचाि ौर जिन्होंने कम से क यक्लियों को चाहे ये वि विचारी चयन प्रायोगदा समृह "घ" पद पट प्रति	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	परिस्थितियों में संघ	लोक सेवा द्यार्थांग	
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रह्ता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में ग्रह्ता प्राप्त	पण्चात्वतीं वर्षों में होते जिससे कि पूर्ववर्ती परी में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता ज्येष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक गुधार पर नियुक्त हों द ह्वा प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते।	ते वाली रिक्तियों क क्षा में अर्हता प्राप्त व ति कर्मचारियों से पृ स्थता के आधार पर स्मृत्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व सो वर्ष के भीतर क ऐसा न करने पर वे वृद्धि नहीं प्राप्त करें	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प हुर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "घ" कर्मचाि ौर जिन्होंने कम से क यक्लियों को चाहे ये वि विचारी चयन प्रायोगदा समृह "घ" पद पट प्रति	किया जाएगा । 1र पण्चात्वर्ली परीक्षा 1 । व्वन्द में से भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण विति किए जाने के भीतर टंकण परीक्षा	majo mar nama a walanda wakana wakana kamana kamana ka	The second secon	सं प्राम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके स्रहेता सेवा पू ज्येष्टता के स्र परीक्षा में का दानी होंगे। में स्रहेता प्राप्त दि विभागीय प्रोन्ना	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परी में अईता प्राप्त करने व रिक्तार्या ज्योष्ठता-सह-योग स्पास मैट्टिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक अंदा प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व शा में अर्हता प्राप्त व श्विता के आधार पर श्विता के आधार पर श्वित अर्हतामंहीं अ के पद पर नियुक्त व शे अर्थ के भीतर क ऐसा न करने पर वे खुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् रूर्व विचार किया जा सवे ऐसे समूह "घ" वर्मचारि रेर जिन्होंने कम से क यिक्तयों को चाहे ये वि वंचारी चयन श्रायोगदा समृह "घ" पर पर प्रति गंजब तक छह मास के	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	से प्राम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके स्रहेता सेवा पू ज्येष्टता के स्र परीक्षा में क्रा वाभी होंगे। में स्रहेता प्राप्ति दि विभागीय प्रोन्ना प्रमुह "ग" विभागीय	पण्चात्वतीं वर्षों में होते जिससे कि पूर्ववर्ती परी में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता ज्येष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक गुधार पर नियुक्त हों द ह्वा प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते।	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व शा में अर्हता प्राप्त व श्विता के आधार पर श्विता के आधार पर श्वित अर्हतामंहीं अ के पद पर नियुक्त व शे अर्थ के भीतर क ऐसा न करने पर वे खुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् रूर्व विचार किया जा सवे ऐसे समूह "घ" वर्मचारि रेर जिन्होंने कम से क यिक्तयों को चाहे ये वि वंचारी चयन श्रायोगदा समृह "घ" पर पर प्रति गंजब तक छह मास के	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	majo mar nama a walanda wakana wakana kamana kamana ka	4	से प्राम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में प्रहंता प्राप् वि विभागीय प्रोक्ता वि विभागीय प्रोक्ता प्रमुद्ध "ग" विभागीय जेए)।	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परी में अर्हता प्राप्त करने व रिक्ता जे जे जिल्ला सहन्योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक गुधार पर नियुक्त हों द ह्ता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त का में चारियों से प्रध्या के ब्राह्मार पर मिन्दुल्य अर्हताम् हैं अके पद पर नियुक्त को भीतर का ऐसा न करने पर वे संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् रूर्व विचार किया जा सवे ऐसे समूह "घ" वर्मचारि रेर जिन्होंने कम से क यिक्तयों को चाहे ये वि वंचारी चयन श्रायोगदा समृह "घ" पर पर प्रति गंजब तक छह मास के	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	से पराम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में प्रह्ला प्राप् वि विभागीय प्रोक्ला प्रमुह "गे" विभागीय लेए)।	पश्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अहंता प्राप्त करने व रितयां ज्येष्ठता-सह-योग पत्त कर ली है। लिपिक कि स्वाप्त हों द हैं ता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी प्रोप्तति समिति (पुष्टि सिंध बोर्ड कर सिंति (पुष्टि सिंध बोर्ड कर सिंध बार सिंध बोर्ड कर सिंध बोर्ड कर सिंध बोर्ड कर सिंध	ते वाली रिक्तियों के श्वा में अर्हता प्राप्त व तो कर्मचारियों से प्रम्यता के आधार पर मतुल्य अर्हतामं हैं अ के पद पर नियुक्त व में वर्ष के भीतर कर ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों पूर्व विचार किया जा सवे ऐसे समूह "व" वर्मचारि रेर जिन्होंने कम से क यिक्तयों को चाहे ये वि वंचारी चयन श्रायोगदा समृह "च" पर पर प्रति गंजब तक छह मास के	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	सं प्रस
(3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके प्रहेता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में ग्रह्नंता प्राप् विविज्ञानीय प्रोन्ना तिष्)। 1. संचिष, कंपनी वि	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रित्ता गं ग्रेष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक लिया प्राप्त करनी होगी, तथापि व तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी ग्रेग्निन समिति (पुष्टि बीर्ड कोई	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व ताले कर्मचारियों से प्रध्यता के आधार पर मनुष्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर का ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् हर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारि ौर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि बंचारी चयन प्रायोगदा समृह "च" पर पर प्रति गं जब तक छह मास के करने केअध्यक्ष	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	से पराम
3) 5 प्रतिशत ि जाएसी जिनके प्रहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में प्रहंता प्राप्ति विभागीय प्रोक्ता जाए। दि विभागीय प्रोक्ता लए)। 1. संचिए, कंपनी दि अवर निवत, कंपनी दि.	पश्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अहंता प्राप्त करने व रितयां ज्येष्ठता-सह-योग पत्त कर ली है। लिपिक कि स्वाप्त हों द हैं ता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी प्रोप्तति समिति (पुष्टि सिंध बोर्ड कर सिंति (पुष्टि सिंध बोर्ड कर सिंध बार सिंध बोर्ड कर सिंध बोर्ड कर सिंध बोर्ड कर सिंध	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व ताले कर्मचारियों से प्रध्यता के आधार पर मनुष्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर का ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो मरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों पूर्व विचार किया जा सवे ऐसे समूह "ब" कर्मचारियों रे जिन्होंने कम से क यिल्लियों को चाहेये वि यंचारी चयन प्रायोग दा समूह "ब" पट पट प्रति गं जब तक छह मास के	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	से पराम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनने स्रहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में क्रा दाभी होंगे। में प्रहंता प्राप् दि विभागीय प्रोक्ता निष्कृ "ग" विभागीय निष्)। स्रियम्, क्ष्मिन्नि अवर निष्कृ क्ष्मिन्नि किसी व्यन्य विश्व	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रित्ता गं ग्रेष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक लिया प्राप्त करनी होगी, तथापि व तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी ग्रेग्निन समिति (पुष्टि बीर्ड कोई	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व ताले कर्मचारियों से प्रध्यता के आधार पर मनुष्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर का ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् हर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारि ौर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि बंचारी चयन प्रायोगदा समृह "च" पर पर प्रति गं जब तक छह मास के करने केअध्यक्ष	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	सं प्राम
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके सहंता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दाभी होंगे। में प्रहंता प्राप्ति विभागीय प्रोक्ता जाए। दि विभागीय प्रोक्ता हाए। । 14 विभागीय प्रोक्ता हाए। । 25 स्विच्च, कंपनी वि	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रित्ता गं गेंछ्या-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक महार पर नियुक्त हों द र्हता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी 13 प्रोग्नित समिति (पुष्टि सिंध बोर्ड भाग से अवर सिंब के	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व ताले कर्मचारियों से प्रध्यता के आधार पर मनुष्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर का ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो भरने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् हर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारि ौर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि बंचारी चयन प्रायोगदा समृह "च" पर पर प्रति गं जब तक छह मास के करने केअध्यक्ष	निया जाएगा। ार पश्चात्वर्ली परीक्षा । . व्वन्द में ते भरी म श्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकेंग वितित किए जाने के भीतर टंकेंग परीक्षा	1	4	से प्रश
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके स्रहेता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में का दानी होंगे। में स्रहेता प्राप् दि विभागीय प्रोन्ना वि विभागीय प्रोन्ना नए)। स्रविच्य, कंपनी वि स्रविच्य, कंपनी वि स्रविच्य, कंपनी वि प्रधिकारी	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रित्ता गं ग्रेष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक लिया प्राप्त करनी होगी, तथापि व तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी ग्रेग्निन समिति (पुष्टि बीर्ड कोई	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त व ताले कर्मचारियों से प्रध्यता के आधार पर मनुष्य अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त व हो अर्थ के भीतर का ऐसा न करने पर वे चुद्धि नहीं प्राप्त करें संरचना	ो मस्ने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् रूर्व विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारियों ौर जिन्होंने कम से क यिक्तियों को चाहे ये वि तंचारी चयन प्रायोग दा समूह "घ" पर पर प्रति गे जब तक छह मास के करने केअध्यक्ष	किया जाएगा । 13 पश्चात्वर्ली परीक्षा 14 पश्चात्वर्ली परीक्षा 15 प्रत्य में से भरी 15 प्रश्चाय परीक्षा या 15 प्रायोजित टंकण वितत किए जाने के भीतर टंकण परीक्षा भर्ती करने में किन किया जाएगा	1	4	
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनवे सर्हता सेवा पू ज्येष्टता के प्र वरीक्षा में क्रा दाभी होंगे। में प्रह्ता प्राप् वि विभागीय प्रोक्ता वि विभागीय विष् वि विभागीय प्रोक्ता वि विभागीय प्रोक्ता वि विभागीय विश्व	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परी कें अर्हता प्राप्त करने व रित्ता में अर्हता प्राप्त करने व रित्ता में उपेष्ठता-सह-योग पास मैंट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक महार पर नियुक्त हों द र्हता प्राप्त करनी होगी, तथापि वे तब तक बेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी 13 प्रोग्नित समिति (पृष्टि सिंध बोर्ड भाग में अवर मिलव कें	ते वाली रिक्तियों के शा में अहंता प्राप्त हों कर्मचारियों से पृष्यता के आधार पर मियुल्य अहंताम् हैं अके पद पर नियुक्त को भीतर का ऐसा न करने पर वे स्विद्ध नहीं प्राप्त करें संरचना	ो मस्ने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् वृर्व विचार किया जा सक्षे ऐसे समूह "य" कर्मचारियों ौर जिन्होंने कम से क यिक्तियों को चाहे ये वि विचार प्रयोग दाः समृह "घ" पर पर प्रति ग जब तक छह मास के करने केअध्यक्ष	किया जाएगा । 13 पश्चात्वर्ली परीक्षा 14 पश्चात्वर्ली परीक्षा 15 प्रत्य में से भरी म ग्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण वितत किए जाने के भीतर टंकण परीक्षा भर्ती करने में किन किया जाएगा	ा स्राग् नह	4 हीं होता 7	
3) 5 प्रतिशत ि जाएगी जिनके सर्हता सेवा पू ज्येष्टता के प्र परीक्षा में क्रा दानी होंगे। में प्रह्ता प्राप् वि विभागीय प्रोक्ता वि विभागीय विग् वि प्रविच्च संग्री	पण्चात्वतीं वर्षों में होंने जिससे कि पूर्ववर्ती परीत में अर्हता प्राप्त करने व रिवार्य प्रेष्ठता-सह-योग पास मैट्रिकुलेशन या स री कर ली है। लिपिक विद्या करनी होगी, तथापि वे तब तक वेतन त नहीं कर लेते। ति समिति है तो उसकी योग सिमिति (पुष्टि विधि बोर्ड विभाग से अवर सिमित के रिवार सिमिति	ते वाली रिक्तियों के शा में अर्हता प्राप्त को को चारियों से पृथ्यता के आधार पर मियुक्त अर्हताम् हैं अ के पद पर नियुक्त को भीतर को ऐसा न करने पर वे वृद्धि नहीं प्राप्त को संरचना	ो मस्ने के लिए विचार करने वाले कर्मचारियों प् वृदं विचार किया जा सके ऐसे समूह "य" कर्मचारियों ौर जिन्होंने कम से क यक्तियों को चाहे ये वि विचार प्रयोगदा समृह "घ" पद पर प्रति ग जब तक छह मास केअध्यक्ष	किया जाएगा । 13 पश्चात्वर्ली परीक्षा 14 पश्चात्वर्ली परीक्षा 15 प्रत्य में से भरी म ग्राठ वर्ष की भागीय परीक्षा या स श्रायोजित टंकण वितत किए जाने के भीतर टंकण परीक्षा भर्ती करने में किन किया जाएगा	ा स्राग् नह	4 हीं होता 7	

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

कुछ नहीं

क्र-प्रोत्मति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

प्रोन्नित : कम्पनी विधि बोर्ड में सेवारत ऐसा ग्रवर श्रेणी लिपिक (950-1500 रु.) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

·				 ऐसा ग्रवर श्रेणी लि। सेवाकी है या समनुक (प्रतिनियुक्ति की या किसी ग्रन्य । 	श्रवधि, जिसके श्रन्तगंत केन् संगठन∤विभाग में इस नियुक्ति र-बाह्म पद पर प्रतिनियुक्ति	ाठ वर्ष निर्यागन द्वीय सरकार के उसी ंसे टीक पहले धारित
	and name of the comment of the comme	3			14	
मग्रद "ग" विभागी	भ प्रोन्नति समिति :				लागू नहीं होता	
ा. १. सचिव, कंपनी			- अध्यक्ष			
 श्रवर सचिव, 			मदस्य			
 किमी अन्य वि अविकारी 	वभाग से ग्रवर सनिव वे	रैंक का एक	⊸सदस्य	n var staten sykkel ender klein van kriegen ender blikkel en en		T. T
1	2	.3	-4	5	6	**************************************
3. सहायक _{Пони} обалиция	ा* (1994) * कार्यभार के स्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अनुसचिवीय)	1400-40 1600-50- दे.से.~60-26	ग्रचयन กก क	लागू नहीं होता	तागू नहीं होता
	8	and the same of th		9	3 ()	the contract of the second section of the
المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة	तागू नहीं ह	ता	name of the separation of the second	सागू नहीं होता	लागू नही	होता
	11				1 2	
प्रोन्निस द्वारा, जिस	तकेन हो सकने पर प्रति	नियुक्ति पर स्थानांतर	ं	जिसने उस श्रेणी में प्रतिनियुक्ति पर स्थ केन्द्रीय सरकार ने या जिन्द्रोंने 120 पर पांच वर्ष निय और लेखा के क्षेत्र (प्रतिनियुक्ति की या किसी ग्रन्य स किसी ग्रन्य नाडर नया तीन वर्ष से ग्र	ह ऐसे अधिकारी जो सदृष्ट प 10−2040 ६. पास समतुल्य मित सेवा की ईऔर जिनके में अनुभव तै। अवधि, जिसके अन्तर्गत के गंगठन/विभाग में इस नियुक्ति -वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति व	। द घारण किए हुए है । वेतनमान वाले पदों पास प्रशासन, रोकड़ द्वीय नरकार के उसी ये टीक पहले घारित
		13		territory has not obtained using a statistic of the sections and, and we see the	14	
समूह "न" विभागी 1. सचिव, कंपनी 2. श्रवर मधिब,			– अध्यक्ष – सङ्ख्य	मंत्र लोक तेत्रा आ	धोग में परासभं करना प्राय	ण्यक्र नहीं हैं।

ा दिली करा किसार से अपर शांवन के रैस का एक कान्नारी -- सरस्य

	2	3	4	5	6	. 0
म्राणुत्तिपिक श्रेणी III	। * (1994) *कार्यभार के स्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'ग' प्रराजपत्तित प्रतनुयचिदीय	1200-30- 1560-द. से. 40-2030 हे.	साम्नर्हा द्वोता	18 सं 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी गए अनुदेशों या आदेणों वे गार सरकारी सेवकों के शिथित करके 40 वर्ष ता जा सकती है)।	धन्- सर
	8			9		10
 . मैट्रिकुलेन्नन या सम	- ग्त र ्य		nig game come i ang milita salaw i laga sanaganang menencena sal			दो वर्ष
-		80 गस्द प्रति (म	स्ट की			
1134 						
***************************************	هد ششته است. مجمد وسيد بينيد پورد و دو دو مود اهمان هغي يون	11			12	
 र्मचारी चवन ग्रावीग	 के माध्यम से सीधी	 भर्ती		nteritoria estiliaria de la compansión d	नागृ नहीं होता	
रिक्तता क्ति पर नियमित जिनके प	केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण के अ आधार पर सदृश	के लिए बाहर रहने व ऐसे श्रविकारियों से प्रधार पर भरी जा पद धारण किए प्रधार भरी किए जाने	से प्रतिनिय- सकेगी जो हुए हैं और	an to a superior and a second a		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		13 :			14	The state of the s
मृह "ग" विभागोय ! पुष्टि पर विचार क		etti valta valta valta esset tipat italianaskuuri avad valta valta valta valta valta valta valta valta valta v B	, and some on confinements and problems and con-	era nja u gradatentnih kira masurd der valgung er	लागु नहीं होता	ndere kapitabondin orres vyrosyndyvepologosty (s
. सचित्र, कंपनी	विधि बोर्ड		ग्रद्भाव			
८. ग्रंबर मचित्र क्य						
3. किसी अन्य विभा	ग से अवर सचिव	के रैंक का एक झ	धिकारी स्यस्य	there are a sufficient format of the sufficien		The same the same of the same
]	2	3	4	â	6	7
5. निक्षी महायक -	2* (1994) ^क का बंभा र के श्राक्षार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	माधारण केन्द्रीय सेवा समृह "ग" घराजपन्नित घनुमचिर्वाय	1400-40- 1600-50- 3.71,-60- 2609 5.	कागू नहीं होता	तायू नहीं होसा	नार् नहीं झोला
8			ч		1.6	
लाग् नहीं होता			न्तन् नही	होला	ताग् गहीं होता	

11

प्रोन्नति द्वारा, जिसके च हो सकते पर प्रतिनिय्तित पर स्थानांतरण द्वारा/ स्थानां तरण द्वारा ।

12

प्रोप्तति :--नानी विधि वोर्ड में सेनारत ऐमा आयाजिएक शेणी-Ш उस श्रेणी 1200-30-1560-₹. ₹1 -2040 रु, के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनिमुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृष्ण पद प्रारण किए हुए हैं या ऐसे प्राशुलिपिक प्रथमा केन्द्रीय सरकार के ऐसे ग्रन्थ श्रधिकारी जो 1200-2040 र. या समत्त्व वेतनमान में कार्यरत हैं और जो उस वेबनभान में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा नर चुके हैं।

(प्रतिनियुक्ति की प्रजीध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस निव्वित में ठीक पहले वारित किसी अन्य काडर-बाहुम पद पर प्रतिनिय्क्ति की प्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

समह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड

-ग्राध्यक्ष

2. प्रवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ट

 किसी ग्रन्थ विमाग से ग्रवर सचिव के रैक का एक श्रीषकारी

--सदम्ध

लाग् नहीं होता

नि. ए-12018/2/92- प्रता, II

उमेश कमार, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1994

G.S.R. 295 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Company Law Board, namely :---

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' posts) recruitment Rules, 1994.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application .- These rules shall apply to the posts menfioned in column 1 of the Schedule annexed with these rnles
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifiedtions .- The method of recruitment, age limit, qualification and

other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid schedule.

- Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the opertion of this rule.

- 6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

	SCHEDUL	,E	,
Name of Post	No. of posts	Classifica	dion •
1	2	3	
1. Lower Division Clerk	10* (1994) *Subject to variation dep on workload.	Non-Gazetted,	
Scale of pay	Whether selection post of non-selection post	of service adm Rule 30 of Cer	
4	5	6	
Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Non-Selection	No	
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	.9	10
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servant up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:—The crucial date for determined to the contral date for date date date date date date date date	 (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi. 		Two years.
Method of recruitment; whether irect recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ t transfer grades from which promotion/transfer/ deputation to be made	If a Departmental Promo- ion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
 (i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'D' staff who prossess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered 		Group 'C' Departmental Committee (for considering case of confirmation) 1. Secretary, Company Law Board—Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member	Not applicable

service in Group 'D' on the basis of a Departmental qualifying examination conducted by the Staff Selection Commission. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes).

Note:

- (a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over.
- (b) If more of such employees than the number of vacancies under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years to that the employees qualifying at an earlier examination are considered before these who qualify at a later examination.
- (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'D' employees working in the Company Law Board who possess matriculation or equivalent qualification and have completed not less than eight years' qualifying service. Those appointed as clerk either on the basis of departmental examination or by seniority will have to qualify in typing test conducted by the Staff Selection Commission within two years failing which they will be liable to revert to Group 'D' post. They will, however, not draw increment until they qualify in the typewriting test whthin the period of six months.

3. An officer from other Department of the rank of Under Secretary

—Momber

7

3

2. Upper Division Clerk

(1994)

*Subject to variation dependent on workload.

General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.

No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
11	. 12	13	14
By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion: Lower Division Clerk (Rs. 950—1500) we in the Company Law Bo with eight years' regular service in the grade. Transfer on Deputation: Officers of the Central Govt 1. holding analogous posts regular basis; or 2. with eight years' regular service in the grade of low Division Clerk or equival (The period of deputation including the period of detation in another excaded post held immediately preceding this appointment the same or some other or misation of the Central Government shall not ord exceed three years).	2. Under Secretary, Company Law Box 2. Under Secretary, Company Law Box on 3. An officer from of Department of the wer Under Secretary— lent. epu- e	ittee: ard Chairman ard Member her rank of
I	?	3	4
3. Assistant		General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial).	Rs, 1400-40-1600-50-EB- 60-2600.
ta. In discussional and a state of the state		i	The second secon
5	6	7	8

applicabi

(English or Hindi).

Not applicable

Promotion failing which by transfer on deputation.

11

Promotion: Upper Division Cterk working in the Company Law Board with five years' regular service in the grade.

Transfer on deputation: Officers of the Central Government helding analogous posts or with five years' regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 1200-2040 or equivalent and having experience in the filed of administration, Cash and Accounts.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

being away on transfer on deputation

or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 9.

personal entral lumber of contradents and a finite of the property of the section of a personal entral of the section of the s		14 Consultation with Union Public Service			
Group 'C' Departmental Pro-					
1. Secretary, Company Law	—Chairman	Commission	not necessary.		
2. Under Secretary, Compan	y Law Board	-Member			
3. An officer from other department of the Secretary	artment of the rank of	Under —Member	rational tasks to their part independent		
1	2	and the second second second	3	4	
4. Stenographer Grade-III	1* (1994) *Subject to variation dependent on worklo	Group	l Central Service 'C' etted, Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB- 40-2040.	
5	and the second of the second o	6 .	7	1 Mars 11 (4)	
No applicable	Not applicable		18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 year accordance with the instructions corders issued by the Centra. Government).		
8	. 9	10	11		
Matriculation or equivale A speed of 80 words per minute in Stenography	nt Not Applicable	Two years	Selection Co	ment through Staff ommission. es caused by the incumbe	

1 2		1.3		14	
Co 1. Se Co 2. Ui		oup 'C' Departments Committee (for consider Secretary, Company Law Board Under Secretary, Con An Officer from othe he rank of Under Sec	dering confirmation) I —Chairman mpany Law Board —Member r Department of	Not Applicable.	
	L)	ne rank of Onder Sec	oretary—Intelliber		
1		2		3	
5. Personal Assista	5. Personal Assistant 2 (19 *Subject to var work load		Non-Ga	Central Service Group Cazetted, Ministerial.	
4		5		6	
Rs. 1400-40-1600-50-	-2300-EB-60-2600	Not applicable	Not ap	plicable	
	8	ò	. 10	11	
Not applieshle	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion falling which by transfer on departure Transfer.	
	12		13	14 :	
Rs. 1200-30-1560 years Megnter ser Transfer on depu Offices of Central ing analogous pos other Central Gov in the pay scale of equivalent with at service in that scal (Period of deputation deputation immed appointment in the organisation/depa	pard in the scale of D-EB-7040 with five vice in the grade. tation/Transfer:—service Government sts or stenographer ternment officers wor of Rs. 1700-2040 or least five years regu	c Committee of 1. Secretary Company 2. Under Sc Company Company An office the rank cking clar od of is er al	Law Boar d —ecretary,	Chairman —Member ment of	